

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

गौतमबुद्धनगर

पत्र संख्या: भ-28/सीएफओ/जीबीएन-16(1) 11716

दिनांक 31-07-2016

सेवा में,

मुख्य वास्तुविद नियोजक

नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-6

गौतमबुद्धनगर

विषय: मैसर्स एम्स मैक्स गार्डनिया डवलपर्स प्रा0लि0 भवन द्वारा निर्मित प्लॉट न0 जी0एच0-07, सेक्टर-75, नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर में निर्मित आवासीय अपार्टमेंट भवन के टावर ए.बी.सी की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना।

यूआईडीन0-2016/19235/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/4596

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा प्रश्नगत भवन के निर्माण हेतु मानचित्र संलग्न कर कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के अनुपालन में प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फेज प्रथम से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानको के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

क- भवन की संरचना:-

1- कुल भूखण्ड एरिया- 6797.00 वर्गमीटर।

क्र0सं0	नाम टावर	तलो का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया	टिपिकल कवर्ड एरिया	ऊँचाई
1	टावर ए	2 बेसमेंट+स्टिल्ट व 19तल	305.570 वर्गमीटर	297.210 वर्गमीटर	59.90मीटर
2	टावर बी	2 बेसमेंट+स्टिल्ट व 19तल	370.636 वर्गमीटर	311.941 वर्गमीटर	59.90मीटर
3	टावर सी	2 बेसमेंट+स्टिल्ट व 19तल	305.570 वर्गमीटर	297.210 वर्गमीटर	59.90मीटर

अपर बेसमेंट- 4641.936 वर्गमीटर

लोअर बेसमेंट- 4641.936 वर्गमीटर

ख- भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड विवरण:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट -4 में श्रेणी ए-4 के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

ग-ढाचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों के अनुसार 45 मीटर रोड उपलब्ध है।

2- प्रवेश द्वार :- प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 6.00 मीटर है।

3-सैटबैक:- प्रश्नगत भवन के चारों तरफ 06 मीटर हार्ड सरफेस मोटरबुल सैटबैक उपलब्ध है सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई /अस्थायी निर्माण मान्य नहीं होगा।

3-निकास मार्ग:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेस उपलब्ध है। जिसकी चौड़ाई 1.5 व 1.25 मीटर है। तथा समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4- रिफ्यूज एरिया:-प्रश्नगत भवन में बालकनी निर्मित है।

घ- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित है।

1-होजरील/डाउनकमर :- प्रश्नगत भवन में होजरील,डाउनकमर लैण्डिंग वाल्व,होज केबिनेट मानको के अनुसार स्थापित है।

2-टैरस टैंक:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लॉक के टैरस पर 10000 लीटर क्षमता का टैरस टैंक स्थापित है।

3- भूमिगत टैंक:- प्रश्नगत भवन में भूमिगत टैंक 100000 लीटर क्षमता का स्थापित एवं कार्यशील दशा में है।

4- फायर पम्प:- प्रश्नगत भवन में भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0क्षमता के 01 अदद विद्युत चालित फायर पम्प व 2280 एल0पी0एम0क्षमता के एक अदद डीजल चालित फायर पम्प व 180 एल0पी0एम0क्षमता के 02 अदद जॉकी पम्प स्थापित व कार्यशील दशा में है।

5- वेटराइजर:- प्रश्नगत भवन में वेटराइजर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।

6- मैन्युअली ऑपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में मैन्युअली ऑपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम स्थापित एवं कार्यशील दशा में है।

7- ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के समस्त टावरों के प्रत्येक तलो पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित एवं कार्यशील दशा में है।

8- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन का बेसमेंट स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम स्थापित है।

Signature

- 9- **यार्ड हाइड्रैन्ट:-** प्रश्नगत भवन के चारों तरफ एन0बी0सी0मानको के अनुरूप यार्ड हाइड्रैन्टस कार्यशील दशा में हैं।
- 10- **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्युशर्स):-**प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्युशर्स आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित हैं।
- 11- **एग्जिट साइनेज:-** प्रश्नगत भवन के समस्त तलों पर एग्जिट साइनेज स्थापित हैं।
- 12- **पी0ए0सिस्टम:-** प्रश्नगत भवन में पी0ए0सिस्टम स्थापित हैं।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अधिभोग हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

- 1- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने के लिए इसका मेन्टीनेन्स शेडयूल बनाया जाये तथा शेडयूल सिस्टम को कार्यशील दशा में रखा जाये।
- 2- भवन में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि आने पर तत्काल नजदीकी अग्निशमन केन्द्र को सूचित किया जाये तथा त्रुटि को तत्काल ठीक कराया जाये।
- 3- प्रत्येक छः माह में भवन में कार्यरत सभी कर्मियों को मॉक ड्रिल / इमरजेंसी एवैक्युएशन ड्रिल कराई जाये ताकि किसी भी आपात स्थिति में सभी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकें।
- 4- वर्ष में एक बार अग्नि शमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
- 5- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा उदासीनता के कारण अकार्यशील दशा में पाये जाने पर उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(सुनील कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
सुनील कुमार सिंह
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: 1-अग्निशमन अधिकारी नोएडा फेज प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रबन्धक मैसर्स एम्स मैक्स गार्डनिया डवलपर्स प्रा0लि0 भवन द्वारा निर्मित प्लॉट न0 जी0एच0-07, सैक्टर-75, नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ प्रेषित।